

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/163169/MTH/MATHURA/4125/CFO

दिनांक: 26-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SARASWATI VIDYA MANDIR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Plot No.1310 MI, GOVERDHAN ROAD, CHHATA, MATHURA** तहसील - **CHHATA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SARASWATI VIDYA MANDIR	2	0	7.00 mt.

तथा प्लाट एरिया **7232.22 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SARASWATI VIDYA MANDIR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **28-06-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHOK JAIN** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-06-2025** से **28-06-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : In view of the recommendation report of fso. The NOC is being issued उक्त भवन का निरीक्षण श्री शशांक तिवारी, प्रधानाचार्य के साथ किया गया है उक्त भवन के निरीक्षण में अशोक जैन का नाम त्रिटिवश लिख गया है, यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है, सैटबैक सत्ता प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होगे भवन में मॉकड्रिल फायर डिमास्टेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-181(1)/छ:-पु0-8-2024-801(1)/2023 दिनांक 18 जनवरी 2024 के अनुसार भवन है, भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबन्धक की होगी अन्यथा की स्थिति में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

NARENDRA PRATAP SINGH

CF76D699D252E9CEAD985F061E781FD310933742

29-06-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.